

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरु

पीठासीन अधिकारी :- अमीलाल यादव आर.ए.एस.

मु.नं:- 104/2024

फुलचन्द पुत्र घासीराम जाति ओसवाल निवासी चाडवास तहसील बीदासर जिला चूरु

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरु

.....अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थित:- 1. मनोज गोदार एडवोकेट वास्ते प्रार्थी

2. पेरोकार राज

-: निर्णय :-

दिनांक:- 24/12/2024

प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि मुझ प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी कब्जा काशत उपयोग उपभोग के खेत खसरा संख्या 260, 265, 695, 722 तादादी क्रमशः 0.7841, 3.2627, 0.2529, 9.7884 हेक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 14.0881 हेक्टेयर भूमि वर्तमान खाता संख्या 497 वाके रोही ग्राम चाडवास तहसील बीदासर जिला चूरु में स्थित है जिसमें मुझ प्रार्थी का 1/5 हिस्सा है तथा खसरा संख्या 488, 489, 545, 614, 641, 678 तादादी क्रमशः 0.1012, 0.3920, 0.0632, 16.4150, 2.6305, 2.2131 हेक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 21.8150 हेक्टेयर भूमि वर्तमान खाता संख्या 519 वाके रोही ग्राम चाडवास तहसील बीदासर जिला चूरु में स्थित है जिसमें मुझ प्रार्थी का 1/20 हिस्सा है। इन दोनों खातों में मुझ प्रार्थी का नाम सम्पतराम पुत्र घासीराम दर्ज है। जबकि मेरा सही व वास्तविक नाम फुलचन्द पुत्र घासीराम है। मुझ प्रार्थी के नाम से बने आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, पैन कार्ड, विधालय रेकार्ड आदि समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम फुलचन्द पुत्र घासीराम दर्ज है। सम्पतराम मेरा बोलता नाम है जबकि फुलचन्द मेरा दस्तावेजी नाम है। रोही ग्राम चाडवास के खाता संख्या 235 में मेरा सही नाम फुलचन्द पुत्र घासीराम दर्ज है। राजस्व रेकार्ड में मेरा नाम सम्पतराम व अन्य समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम फुलचन्द होने से मुझे बैंक से ऋण लेने व अन्य सरकारी लाभ प्राप्त करने में परेशानी हो रही है। मुझ प्रार्थी ने दिनांक 21.10.2024 को अप्रार्थी से मौखिक रूप से निवेदन किया कि रोही ग्राम चाडवास के खाता संख्या 497 व 519 में मेरा नाम सम्पतराम पुत्र घासीराम की जगह फुलचन्द पुत्र घासीराम किया जावे। इस पर अप्रार्थी ने इस प्रकार से राजस्व रेकार्ड में संशोधन करने से



सुपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरु)

साफ इनकार कर दिया। इसलिए प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय के मार्फत राजस्व रेकार्ड में अपना नाम सम्पतराम पुत्र घासीराम की जगह फुलचन्द पुत्र घासीराम का संशोधन कराये। राजस्व रेकार्ड में दुरुस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थना-पत्र राजस्व रेकार्ड में संशोधन का है तथा वादगत खेत रोही ग्राम चाडवास तहसील बीदासर जिला चूरु में स्थित है। इसलिए इस प्रार्थना पत्र की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर अवधि भितर प्रस्तुत है। आदि आदि अंकित कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना-पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार बीदासर ने अपना जवाब पेश कर दिया है जिसमें प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाना उचित बताया है।

हमने पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी। पत्रावली पर आये दस्तावेजों को बगौर से देखा। प्रकरण राजस्व रेकार्ड में नाम दुरुस्ती का है जिसमें अप्रार्थी तहसीलदार बीदासर ने अपने जवाब में प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाना उचित बताया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान के दस्तावेजों में जैसे आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, पैन कार्ड, विद्यालय रेकार्ड आदि में प्रार्थी का नाम फुलचन्द पुत्र घासीराम अंकित है जबकि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम सम्पतराम पुत्र घासीराम अंकित है जिसको प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों के आधार पर शुद्ध किया जाना उचित प्रतित होता है।

—: आदेश :-

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर रोही ग्राम चाडवास के खसरा संख्या 260, 265, 695, 722, 488, 489, 545, 614, 641, 678 में प्रार्थी का नाम सम्पतराम पुत्र घासीराम की जगह फुलचन्द पुत्र घासीराम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। निर्णय आज दिनांक 24/12/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरु)